कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून

आयुक्त राज्य कर मुख्यालय, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, नत्थनपुर, देहरादून

पत्रांक / 1534 /आयु0रा0क0उत्तरा0 / लो0सू0अनु0 / 2024–25 / दे0दून / दि0 23 /07/2024

श्री नदीम उद्दीन (एडवोकेट),
(राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता),
कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां,
काशीपुर–244713 (उत्तराखण्ड)।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रेषित अपने अनुरोध पत्र पत्रांक–1677 / सू.अ. / 2024, दिनांक 21.06.2024 का सन्दर्भ लें, जो उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8, देहरादून के पत्र संख्या–294, दिनांक 02.07.2024 के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 02.07.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आप द्वारा **बिन्दु सं0–4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 एवं 4.8** में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है, जिस क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1197, दिनांक 03.07.2024 के माध्यम से विधि / जी0एस0टी0 अनुभाग, राज्य कर मुख्यालय, देहरादून को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। राज्य कर मुख्यालय, देहरादून के विधि–अनुभाग द्वारा अपने पत्रांक–1508, दिनांक 22.07.2024 के माध्यम से निम्न प्रकार से सूचना प्रेषित की गयी है:–

"**बिन्दु सं0–4.1** इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना S.O. 4073(E), दिनांक 14 सितम्बर, 2023 की प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून में माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राज्य न्याय पीठ गठित की गई है। **(कुल 05 पृष्ठ)**

बिन्दु सं0–4.2 एवं 4.3 उत्तराखण्ड राज्य में माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राज्य न्याय पीठ को कार्यरत किये जाने के लिए कार्यालय भवन के चिन्हांकन तथा चयन सहित माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राज्य न्याय पीठ में तकनीकी सदस्य (राज्य) को नियुक्त किये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है। सम्बन्धित प्रपत्रों की प्रति संलग्न है। **(कुल 04 पृष्ठ)**

बिन्दु सं0–4.4 इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड) के आदेश संख्या–09 / 2019– केन्द्रीय कर दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 तथा उत्तराखण्ड सरकार, वित्त अनुभाग–8 के आदेश संख्या–1116, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 की प्रति संलग्न है। **(क्रमशः कुल 03 व 04 पृष्ठ)**

बिन्दु सं0–4.5 इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार, वित्त अनुभाग–8 के अधिसूचना संख्या–692, दिनांक 28 अगस्त, 2017 की प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरण देहरादून में गठित की गई है तथा यह दिनांक 01 जुलाई, 2017 से कार्यरत है। **(कुल 03 पृष्ठ)**

बिन्दु सं0–4.6, 4.7 एवं 4.8 उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरण देहरादून में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से कार्यरत होने के आलोक में सम्बन्धित बिन्दु प्रासंगिक नहीं है।"

उक्त समस्त सूचना कुल 19 पृष्ठों में उपलब्ध है, जिसका प्राप्ति शुल्क रू0 2/– प्रति पृष्ठ की दर से रू0 38/–देय है। है। अतः आप द्वारा उक्त शुल्क का भुगतान किये जाने के उपरान्त वांछित सूचना प्राप्त की जा सकती है। **(विधि–अनुभाग के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न)** उक्त के अतिरिक्त आप चाहे तो किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर उक्त सूचनाओं का अवलोकन भी कर सकते है।

क्रमशः 02 पर

यदि आप उपरोक्त सूचना से असन्तुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर **प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार), अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, देहरादून,** जिनका पता निम्नवत है, के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं:–

अपीलीय अधिकारी का पता :–
श्री बी.एस. नगन्याल,
अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय/
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार),
जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड़, नत्थनपुर (पुलिया नं0–6) देहरादून।
संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(प्रीति मनराल)
उपायुक्त/लोक सूचना अधिकारी,
राज्य कर मुख्यालय, देहरादून।
मो0 7055602712

बिन्दु सं०-5.1

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092023-248743
CG-DL-E-14092023-248743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3911] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2023/भाद्र 23, 1945
No. 3911] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023/BHADRA 23, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2023

का.आ. 4073(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 109 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 3009 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 21 अगस्त, 2019 और अधिसूचना संख्या का. आ. 4332 (अ) तारीख 29 नववंर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 02 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित की गई थी, को अधिक्रांत करते हुए माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राज्य की बावत उसके स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवस्थानों पर, भारत के राजपत्र (असाधारण) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से माल और सेवा कर अपील अधिकरण के राज्य न्यायपीठों का गठन करती है :-

(रंजीत सिंह नेगी)
सहायक आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून

सारणी

क्र.सं.	राज्य का नाम	न्यायपीठों की संख्या	अवस्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आंध्र प्रदेश	1	विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा
2	बिहार	1	पटना
3	छत्तीसगढ	1	रायपुर और बिलासपुर
4	दिल्ली	1	दिल्ली
5	गुजरात	2	अहमदावाद, सूरत और राजकोट
6	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव		
7	हरियाणा	1	गुरूग्राम और हिसार
8	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
9	जम्मू-कश्मीर	1	जम्मू-श्रीनगर
10	लद्दाख		
11	झारखंड	1	रांची
12	कर्नाटक	2	बेंगलुरु
13	केरल	1	एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम
14	लक्षद्वीप		
15	मध्य प्रदेश	1	भोपाल
16	गोवा	3	मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी
17	महाराष्ट्र		
18	ओडिशा	1	कटक
19	पंजाब	1	चंडीगढ़ और जालंधर
20	चंडीगढ़		
21	राजस्थान	2	जयपुर और जोधपुर
22	तमिलनाडु	2	चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर और पुदुचेरी
23	पुदुचेरी		
24	तेलंगाना	1	हैदराबाद
25	उत्तर प्रदेश	3	लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज
26	उत्तराखंड	1	देहरादून
27	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	2	कोलकाता
28	सिक्किम		
29	पश्चिमी बंगाल		
30	अरुणाचल प्रदेश	1	गुवाहाटी आइजोल (सर्किट) अगरतला (सर्किट) कोहिमा (सर्किट)
31	असम		
32	मणिपुर		
33	मेघालय		

34	मिजोरम		
35	नागालैंड		
36	त्रिपुरा		

स्पष्टीकरण - 'सर्किट' के रूप में उपदर्शित अवस्थान ऐसी रीति में कार्यशील होंगे, जो राष्ट्रपति संबंधित राज्यों में पूर्तिकर्ताओं द्वारा फाइल की गई अपीलों की संख्या के आधार पर आदेश करें ।

[फा. सं. ए-50050/150/2018-सीईएसटीएटी-डीओआर]

ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2023

S.O. 4073(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section 4 of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue's notification number S.O.3009(E), dated the 21st August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st August, 2019 and the notification number S.O.4332(E) dated the 29th November, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 02nd December, 2019, the Central Government, on the recommendation of the Goods and Services Tax Council, hereby constitutes the number of State Benches of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal as specified in column (3) of the table below, with respect to the State specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, at the location specified in corresponding entry in column (4) thereof, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India (Extraordinary), namely:—

TABLE

S.No.	State Name	No. of Benches	Location
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Andhra Pradesh	1	Vishakhapatnam and Vijayawada
2	Bihar	1	Patna
3	Chhattisgarh	1	Raipur and Bilaspur
4	Delhi	1	Delhi
5	Gujarat	2	Ahmedabad, Surat and Rajkot
6	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu		
7	Haryana	1	Gurugram and Hissar
8	Himachal Pradesh	1	Shimla
9	Jammu and Kashmir	1	Jammu and Srinagar
10	Ladakh		
11	Jharkhand	1	Ranchi
12	Karnataka	2	Bengaluru
13	Kerala	1	Ernakulum and Trivandrum
14	Lakshadweep		
15	Madhya Pradesh	1	Bhopal
16	Goa	3	Mumbai, Pune, Thane, Nagpur, Aurangabad and Panaji
17	Maharashtra		
18	Odisha	1	Cuttack
19	Punjab	1	Chandigarh and Jalandhar
20	Chandigarh		

(रंजीत सिंह नेगी)
सहायक आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून

21	Rajasthan	2	Jaipur and Jodhpur
22	Tamil Nadu	2	Chennai, Madurai, Coimbatore and Puducherry
23	Puducherry		
24	Telangana	1	Hyderabad
25	Uttar Pradesh	3	Lucknow, Varanasi, Ghaziabad, Agra and Prayagraj
26	Uttarakhand	1	Dehradun
27	Andaman and Nicobar Islands	2	Kolkata
28	Sikkim		
29	West Bengal		
30	Arunachal Pradesh	1	Guwahati Aizawl(Circuit) Agartala(Circuit) Kohima (Circuit)
31	Assam		
32	Manipur		
33	Meghalaya		
34	Mizoram		
35	Nagaland		
36	Tripura		

Explanation — Locations shown as 'Circuit' shall be operational in such manner as the President may order, depending upon the number of appeals filed by suppliers in the respective States.

[F. No. A-50050/150/2018-CESTAT-DoR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारत सरकार / Govt. Of India
वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance
राजस्व विभाग / Department of Revenue
मुख्य आयुक्त कार्यालय / Office of the Chief Commissioner
सीमा शुल्क तथा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/ Customs, Central Goods and Services Tax
मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ / Meerut Zone, Meerut.
Opp. CCS University, MangalPandey Nagar, Meerut-250004(UP) Tel. 0121-2769785(O), 2762527(F) E-mail: adcmeerutzone@rediffmail.com

F.No.GCCO/I(22)/39/2024-ADMN-O/o CC-CGST-ZONE-MEERUT/ Date:- .04.2024

OFFICE ORDER DATED 08.04.2024

Sub: Constitution of Committee for identification of office premises/ location of State Bench of Goods and Services Tax Appellate Tribunal at Dehradun- reg.

In pursuance of the letter F.No.A-50050/29/2023-CESTAT-DOR dated 01.04.2024 issued by the Under Secretary, Department of Revenue, New Delhi conveying notification of 31 State Benches of the GST Appellate Tribunal by the Government vide Notification No.4073(E) dated 14.09.2023, covering 43 locations plus 3 circuit locations across India, a local level committee is hereby being constituted as per para 2 of the said letter, comprising following members-

i. Shri Rajeev Jain, Chief Commissioner, Central Goods and Services Tax, Meerut Zone, Meerut- Chairperson
ii. Shri Neelesh Kumar Gupta, Commissioner, CGST Dehradun- Member
iii. Shri Ahmed Iqbal, Commissioner of Commercial Tax, Uttarakhand-Member
iv. Smt. Sonika, District Magistrate, Dehradun- Member

The committee will identify the office premises/building for the State Bench at Dehradun as per extant guidelines informed vide Department of Revenue letter F.No.A-50050/70/2024-GSTAT-DOR dated 04.04.2024 and submit their report for hiring of office space for onward submission to Department of Revenue at the earliest.

This issues with the approval of the Chief Commissioner, Customs & CGST Meerut Zone, Meerut.

sd/-
Joint Commissioner (CCO)
Meerut Zone, Meerut

To:

1. Commissioner, Commercial Tax, Uttarakhand
2. Commissioner, CGST Dehradun
3. District Magistrate, Dehradun

8-4-24
Joint Commissioner (CCO)

/2024

बिन्दु सं०-5.2 व 5.3

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या- / /2024 / 1(120) / XXVII(8) / 2023
देहरादून, दिनांक फरवरी, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

केन्द्रीय माल और सेवा कर, 2017 (संशोधन- वित्त अधिनियम, 2023) के द्वारा संशोधित धारा–109(1) में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड राज्य की माल और सेवा कर अपील अधिकरण (GSTAT) के अन्तर्गत तकनीकी सदस्य-राज्य (Technical Member-State) के चयन हेतु केन्द्रीय माल और सेवा कर, 2017 (संशोधन–वित्त अधिनियम, 2023) के द्वारा संशोधित धारा–110 की उपधारा–4(a) में प्रदत्त प्राविधानों के क्रम में Search-cum-Selection Committee का एतद्द्वारा निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

(1) मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड – अध्यक्ष
(2) वरिष्ठतम न्यायिक सदस्य / मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा नामित) – सदस्य
(3) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
(4) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग(राज्य कर विभाग), उत्तराखण्ड शासन – सदस्य सचिव
(5) सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 26-02-2024 18:58:03
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–192797 / 2024 / 1(120) / XXVII(8) / 2023, तद्दिनांक:–
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल को मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के संज्ञानार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च ~~न्यायालय, उत्तराखण्ड~~ द्वारा उक्तानुसार गठित Search-~~cum-Selection~~ Committee के बिन्दु संख्या(2) हेतु सदस्य के रुप में नामित वरिष्ठतम न्यायिक सदस्य / मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग(राज्य कर विभाग), उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– निजी सचिव, सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Krishna Kumar Shukla
Date: 27-02-2024 10:16:02
(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

(रंजीत सिंह नेगी)
सहायक आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून

225/XXVII(8)/2024

HIGH COURT OF UTTARAKHAND
सत्यमेव जयते
NAINITAL

From:

Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital

To,

Secretary (Finance),
Finance Section-8,
Government of Uttarakhand,
Dehradun
Email: secy-fin-ua@nic.in

No. 2387 /UHC/F.No. 125//2024 Dated: May 26, 2024

Subject: **Regarding nomination of retired Judge as a Member of Search-cum-Selection Committee for selection of *"Technical Member-State"* Uttarakhand State Goods & Service Tax Appellate Tribunal (GSTAT).**

Sir,

Kindly take reference to the Office-Memorandum No. 193797/2024/1(120)/XXVII(8)/2023 dated 27th February, 2024 issued by the Finance Section -8, regarding constitution of Search-cum-Selection Committee for selection of *"Technical Member-State"* of Uttarakhand State Goods & Services Tax Appellate Tribunal. In this matter, I am directed to inform that Hon'ble the Chief Justice is pleased to nominate retired Justice Mr. Ramesh Chandra Khulbe, Chairman, Uttarakhand Real Estate Tribunal, Dehradun as a Member mentioned in serial No. 02 of above mentioned Office-Memorandum.

2. You are, therefore, requested to establish contact with Hon'ble Mr. Justice (retired) Mr. Ramesh Chandra Khulbe, Chairman, Uttarakhand Real Estate Appellate Tribunal, Dehradun for further necessary action in this matter.

3. You are, therefore, informed accordingly.

Yours sincerely,

(Kaushal Kishore Shukla)
I/c Registrar General

No. /UHC/F.No. 125//2024 Dated: May __ , 2024

Copy forwarded to Hon'ble Mr. Justice (retired) Ramesh Chandra Khulbe, Chairman, Uttarakhand Real Estate Tribunal, Dehradun for His Lordship's kind information.

Registrar General

1336
DS(F)
US F-8
13.05.2024
508
13/05/24
8004
अपर सचिव वित्त-08
09/05/2024
(दिलीप जावलकर)
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन
(रजीत सिंह नेगी)
सहायक आयुक्त राज्य कर,
14/05/2024